

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 48] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 31, 1977/माघ 11, 1898

No. 48] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 31, 1977/MAGHA 11, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 31st January 1977

S.O. 59(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Copper (Prohibition of Use in the Manufacture of Electrical Cables and Wires) Order, 1970, namely:—

1. (1) This Order may be called the Copper (Prohibition of Use in the Manufacture of Electrical Cables and Wires) Amendment Order, 1977
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2 In the Schedule to the Copper (Prohibition of Use in the Manufacture of Electrical Cables and Wires) Order, 1970, against Sl No. 31, in column 3, relating to conditions of manufacture, after entry (vi), the following entry shall be added, namely:—

“(vii) Cochin Shipyard Limited, Cochin ”

[No 4/4/76-El. Ind.]

G N MEHRA, Jt. Secy.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1977

का० आ० 59(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तांबा (वैद्युत केबिल और तारों के विनिर्माण में उपयोग का प्रतिषेध) आदेश, 1970 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

1 (1) इस आदेश का नाम तांबा (वैद्युत केबिल और तारों के विनिर्माण में उपयोग का प्रतिषेध) संशोधन आदेश 1977 है।

(2) यह राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. तांबा (वैद्युत केबिल और तारों के विनिर्माण में उपयोग का प्रतिषेध) आदेश, 1970 की अनुसूची में क्र०स० 31 के सामने, विनिर्माण की शर्तों से सम्बन्धित स्तम्भ 3 में प्रविष्टि (vi) के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात्

“(vii) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन,”

[स० 4/4/76—ई एलआईएनडी]

जी० एन० मेहरा, सयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मूद्रणालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977